रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ. 3 (ख)( ) अलेसे–।।/ 21196–22005 दिनांकः–18 मार्च 2014

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 321/2012–13 दिनांक 13.12.2013 में क्र.सं. 04 पर अंकित श्री विष्णु सिंह पुत्र श्री भगवत सिंह, प्लॉट नं. 397, तारानगर 'ए' झोटवाडा, जयपुर (मेरिट नं. 252/2011, रोल नं. 703557, जन्मतिथि 25.04.1988) को लेखाकार के पद पर नियुक्ति दी जाकर जिला एवं सेशन न्यायालय डूंगरपुर में दिनांक 31 दिसम्बर 2013 तक कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु श्री विष्णु सिंह ने नियत तिथि तक अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया।

विभागीय आदेश क्रमांक 18424–500 दिनांक 20 जनवरी 2014 द्वारा हचमा राज0 राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जोधपुर में लेखाकार आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्देशित किये जाने एवं पुनः पत्रांक 18841–50 दिनांक 05 फरवरी 2014 द्वारा श्री विष्णु सिंह को दिनांक 20 फरवरी 2014 तक आवश्यक रूप से अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने अन्यथा लेखाकार पद पर किए नियुक्ति आदेश को निरस्त किए जाने हेतु लिखा गया, किन्तु श्री सिंह ने विभागीय आदेशों की पालना नहीं की।

विभागीय आदेशों की अनुपालना में कार्यग्रहण नहीं किए जाने के कारण श्री विष्णु सिंह पुत्र श्री भगवत सिंह (मेरिट नं. 252/2011) का विभाग के आदेश संख्या 321/2012–13 दिनांक 13.12.2013 द्वारा जारी नियुक्ति आदेश एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते है।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक,
कोष एवं लेखा विभाग

क्रमांकः– एफ. 3 (ख)( ) अलेसे–।।/ 21196–22005 दिनांकः–18 मार्च 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. जिला एवं सेशन न्यायालय डूंगरपुर।
4. श्री विष्णु सिंह पुत्र श्री भगवत सिंह, प्लॉट नं. 397, तारानगर 'ए' झोटवाडा, जयपुर– 302012 **(रजिस्टर्ड)**
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
7. गोपनीय शाखा
8. रक्षित पंजिका/निजी पत्रावली

(के. एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–1)